न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया

जमानत आवेदन सं0–269/2026

गोगरी थाना काण्ड सं0–49/2026

लगीन यादव एवं अन्य – बनाम् – बिहार सरकार

उपस्थित
संजय कुमार–II,
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
खगड़िया।

18.03.2026

काराधीन आवेदक/अभियुक्तगण–**1. लगीन यादव एवं 2. बिट्टू यादव** की ओर से गोगरी थाना काण्ड सं0– 49/26, धारा–126(2), 115(2), 109, 308(2), 352, 351(2), 351(3), 3(5) BNS एवं 27 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मामले में, यह जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जो शपथ–पत्र से समर्थित है, जिसे उनके विद्वान् अधिवक्ता श्रीमती सीमा की ओर से संचालित किया गया। आवेदक/अभियुक्तगण दिनांक **20.02.2026** से कारा अभिरक्षा में है।

जमानत के बिन्दु पर आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान् अधिवक्ता का मुख्य रूप से कथन यह है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदकगण की ओर से अन्य कोई जमानत आवेदन अन्य किसी वरीय न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक सं0–1 के विरूद्ध अन्य एक आपराधिक मामला एवं आवेदक सं0–2 के विरूद्ध अन्य दो मामले दर्ज है, जिसमें वे जमानत पर हैं। आवेदकगण को इस मामले में दुर्भावना, द्वेष, ग्रामीण राजनीति एवं जमीनी विवाद के कारण झूठा फंसाया गया है। कथित धाराएं जमानतीय है, सिवाय धारा–109 और 308(2) BNS के, जिसे मामले को गम्भीर बनाने के लिए जोड़ा गया है। सूचक ने आवेदकगण को घसीटा और दिनांक 12.01.54 की शून्य जरबियानामा के आधार पर मौजा रतन में स्थित उनकी पैतृक सम्पत्ति पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की। यह मामला गोगरी थाना काण्ड सं0–48/26 का प्रतिवाद है। आवेदकगण के विरूद्ध एक भी कानूनी साक्ष्य नहीं है। आवेदकगण मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार हैं तथा फरार नहीं होंगे। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर आवेदक अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना करते हैं।

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम्, खगड़िया
जमानत आवेदन सं0-269/2026
गोगरी थाना काण्ड सं0-49/2026

लगातार
18.03.2026

विद्वान अपर लोक अभियोजक की ओर से जमानत का विरोध किया गया।

सूचक के लिखित आवेदनानुसार, अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 19.02.2026 को सुबह लगभग दस बजे सूचक अपने खेत से घास लाने गया तो देखा कि उसके खेत में लगी जौ फसल (घास) को ट्रैक्टर से जोत रहा था। जब सूचक जोतने से मना किया तो घात लगाकर पहले से ही बैठे पंकज यादव, लालमोहन यादव, रामचन्द्र यादव, लगीन यादव, सूदो यादव बिट्टू यादव, निरज यादव, नितीन कुमार, रजबू यादव ने मिलकर गाली-गलौज करते हुए दो लाख रूपये रंगदारी की मांग की। विरोध करने पर लालमोहन यादव व रामचन्द्र यादव दोनों ने मिलकर थ्रीनट के बट से सिर पर मारा। पंकज यादव ने जान मारने की नियत से गोली चला दिया। सूचक के भाई और बेटे के आने पर सभी आरोपी मिलकर मारपीट किया। उपरोक्त आरोपियों के विरूद्ध पूर्व से गोगरी थाना काण्ड सं0-46/26 दर्ज है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि इस आपराधिक वाद में आवेदकगण सहित अन्य सह-अभियुक्तों के विरूद्ध ऊपरी अंकित धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है। आवेदक अभियुक्तगण पर लगाया गया आरोप सामान्य एवं सर्वव्यापी है, जबकि गोली चलाने का आरोप पंकज यादव पर है एवं थ्रीनट के वट से मारने का आरोप सह-अभियुक्त लालमोहन यादव व रामचन्द्र यादव पर है। जमानत आवेदन के पारा-3 के अनुसार, आवेदक सं0-1 के विरूद्ध अन्य एक मामला एवं आवेदक सं0-2 के विरूद्ध अन्य दो मामले दर्ज हैं, जिसमें वे जमानत पर हैं। उभय पक्ष के बीच जमीनी विवाद है तथा दोनों पक्षों के बीच वाद एवं प्रतिवाद दर्ज है। आवेदक पर विशिष्ट आरोप नहीं है तथा जान मारने का आशय प्रतीत नहीं होता है। आवेदक/अभियुक्तगण दिनांक 20.

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया

जमानत आवेदन सं0–269/2026

गोगरी थाना काण्ड सं0–49/2026

लगातार

18.03.2026

02.2026 से कारा अभिरक्षा में है, ऐसी दशा में उन्हें जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं कारा अवधि को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्तगण को मो0–10,000/–(दस हजार) रूपये के दो समान प्रतिभूओं के द्वारा जमानत बंध–पत्र दाखिल किये जाने एवं विद्वान् विचारण न्यायालय के संतुष्टि पर जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि **आवेदक/अभियुक्तगण का दोनों जमानतदार उनके परिवार के निकट संबंधी होंगे।**

लेखापित एवं शुद्धिकृत

अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्,
खगड़िया।

Date of Judgement/Order	18.03.26
Date of Reserving Judgement/Order	—
Uploading Date	19.03.26
Uploading by	Nitish Kumar (DEO)